



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237385  
CG-DL-E-20072022-237385

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3090]  
No. 3090]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3250(अ).—माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मूल आवेदन संख्या 55/2019 (डब्ल्यू जैड), (गजूबा जेसर जडेजा बनाम भारत संघ और अन्य) में अपने तारीख 12 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ यह प्रेक्षित किया था कि कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील विनिर्माण उद्योगों के लिए पूर्व पर्यावरण अनुमति अपेक्षित होती है लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थापना की सहमति (सीटीई) और प्रचालन की सहमति (सीटीओ) के आधार पर बृहद संख्या में ऐसी मिलें संचालित की जा रही थीं, माननीय अधिकरण ने यह निर्णय दिया है कि ऐसी इकाइयों को पर्यावरण अनुमति व्यवस्था के भीतर आने के प्रयोजन के लिए कार्य करने हेतु कम से कम एक वर्ष प्रदान करके अवसर प्रदान किया जाना चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कारित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पूर्वोक्त उक्त आदेश के अनुरूप विचार विमर्श करके विनिश्चय किया है, जिससे ऐसी री-रोलिंग या कोल्ड रोलिंग इकाइयों को पूर्व पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके:

और केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची के धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह) से संबंधित मद 3(क) के अनुसार द्वितीय धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग के परिक्षेत्र में आने वाले स्टील री-रोलिंग प्रचालन और अपेक्षित पर्यावरण अनुमति,

उसकी अनुसूची में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) जिसमें प्रवर्ग ख के अधीन आने वाली 5,000 टन/एनम (टीपीए) से अधिक क्षमता वाली सभी गैर विषैली द्वीतीय धातुकर्म प्रसंस्करण इकाइयां हैं, समाविष्ट परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण अनुमति की अपेक्षा को आज्ञापक बनाती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि सभी स्टैंड अलोन री-रोलिंग इकाइयां कोल्ड रोलिंग इकाइयां, जो इस अधिसूचना की तारीख को यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापन की विधिमान्य सहमति (सीटीई) और प्रचालन की विधिमान्य सहमति (सीटीओ) के साथ इस अधिसूचना की तारीख को विद्यमान हैं और प्रचालन में हैं, पर्यावरण अनुमति के अनुसरण में निर्देश निबंधन (टीओआर) अनुदत्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगी और उक्त इकाइयों को उक्त अधिसूचना की मद 3(क) के अनुसार मानक निर्देश निबंधन अनुदत्त किए जाएंगे और उन्हें लोक परामर्श की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी:

परंतु टीओआर अनुदत्त करने के लिए आवेदन, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आईए-जे-11013/8/2019-आईए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

**S.O. 3250(E).**—Whereas, the Hon'ble National Green Tribunal *vide* its order, dated the 12<sup>th</sup> February, 2020, in Original Application No. 55/2019 (WZ), (*Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors.*), has *inter alia* observed that Cold Rolled Stainless Steel Manufacturing Industries require prior environment clearance but, having regard to the fact that there were a large number of such mills operating on the strength of Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO), the Hon'ble Tribunal has held that opportunity should be provided to such units to fall within the Environment Clearance regime by granting a period of at least one year to operate for the purpose;

And whereas, the Central Government, keeping in view the impact caused due to the Covid19 pandemic has taken a considered decision in line with the above said order of the Hon'ble National Green Tribunal, so as to provide a window period for such re-rolling or cold rolling units to obtain prior Environmental Clearance;

And whereas, the Central Government is of the view that steel re-rolling operations fall under the purview of the secondary metallurgical processing industry and require Environment Clearance as per item 3(a), relating to Metallurgical Industries (Ferrous and Non-ferrous), of the Schedule to the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forest, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, mandating the requirement of prior environmental clearance for the projects covered in its Schedule (hereinafter referred to as the said notification), wherein all non-toxic secondary metallurgical processing units with capacities greater than 5000 tonnes/annum (TPA) fall under category B;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant

of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation:

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification.

2. This notification shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. IA-J-11013/8/2019-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.